भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
04.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1467 का उत्तर

स्टेशनों का पुनर्विकास

1467. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यात्रियों और रेलगाड़ियों की सुरक्षा सहित स्टेशनों के पुनर्विकास की प्रक्रिया में शहरी/स्थानीय निकायों से विभिन्न सांविधिक अनुमोदन लेने आवश्यक होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कारक कार्य के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे स्टेशनों की संख्या कितनी है, जहां उक्त कारकों के फलस्वरूप कार्य अधूरा पड़ा हुआ है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

S.K

स्टेशनों का पुनर्विकास के संबंध में दिनांक 04.12.2024 को लोक सभा में श्रीमती मंजू शर्मा के अतारांकित प्रश्न सं. 1467 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण/उन्नयन/पुनर्विकास करना सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास करना जटिल स्वरूप का होता है जिसमें रेलगाड़ियों और यात्रियों की संरक्षा शामिल है और विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों जैसे दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन संबंधी स्वीकृतियों इत्यादि की आवश्यकता होती है। यह विकास कार्य ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों जैसे अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना जिसमें (जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, रेलपथ और उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के बहुत ही निकट में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि के कारण भी प्रभावित होता है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

*****

S.K